उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 05/2023–24

सुमन कुमार साह उर्फ सुमन साह.....अपीलकर्त्ता

बनाम

शिव कुमार गुप्ता.....उत्तरकारी

आदेश

17.10.2023

यह रे0मि0 अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के W.P.(C) No.-3496/2023 में पारित आदेश दिनांक–14.08.2023 के आलोक में अंचल अधिकारी, दुमका के अतिक्रमण वाद सं0–01/2021–22 में पारित आदेश दिनांक–17.06.2023 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

अभिलेख में उल्लेखित तथ्य के अनुसार मोहल्ला बाँधपाड़ा पाकुड़ रोड, दुमका के खाता नं0–35 दाग सं0–348 भूमि किस्म गैरमजरूवा मालिक गली बोलकर खसरा पंजी में दर्ज है। इस पर अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमणकारी को उच्छेदित करने हेतु सुषमा कुमारी गुप्ता, पिता–शिव कुमार गुप्ता, ग्राम–बांधपाड़ा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आवेदन दिया गया। सुषमा कुमारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र पर अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका के न्यायालय में आवेदन वाद सं0–42/2021 सुषमा कुमारी गुप्ता बनाम सुमन साह वगैरह प्रारंभ किया गया तथा अंचल अधिकारी, दुमका से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं विपक्षी को कारण पृच्छा की नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, दुमका एवं विपक्षी से कारण पृच्छा प्राप्ति के पश्चात् उभय पक्षों को सुना गया। सुनवाई के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस दाग के संबंध में माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के न्यायालय में विविध वाद में 7/2021 में दिनांक–04.01.2022 को आदेश पारित किया जा चुका है जिसमें अंचल अधिकारी, दुमका को अतिक्रमण वाद चलाकर मामले को शीघ्र निस्तार करने का आदेश दिया गया है। तत्पश्चात् अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका द्वारा माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका द्वारा पारित आदेश की प्रति भेजते हुए अंचल अधिकारी, दुमका को सूचित करने का आदेश पारित किया गया।

तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा अतिक्रमण वाद सं0–1/2021–22 प्रारंभ कर झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अधीन माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के विविध वाद सं0–07/2021 आदेश दिनांक–04.01.2022 द्वारा पारित आदेश के आलोक में

अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी को कारण पृष्ठा का नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध में अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में W.P.(C) No.-3537/2022 एवं उत्तरकारी द्वारा अंचल अधिकारी को कार्रवाई चालू रखने हेतु माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में W.P.(C) No.-1313/2023 दायर किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा उक्त दोनो वाद W.P.(C) 3537/2022 एवं 1313/2023 में दिनांक–03.05.2023 को आदेश पारित करते हुए अंचल अधिकारी, दुमका को आदेश दिया गया कि उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने एवं सुनवाई का अवसर देते हुए एक माह के अन्तर्गत वाद को निष्पादन किया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पुनः झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अधीन प्रपत्र 1 के अन्तर्गत उभय पक्षों को कारण–पृच्छा की नोटिस निर्गत किया गया एवं राजस्व उप निरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक तथा अंचल अमीन के द्वारा संबंधित दाग सं0–348 की नापी प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्षों द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल करने एवं राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक तथा अंचल अमीन के द्वारा पुनःश्च भौतिक रूप से निरीक्षणोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त के पश्चात् दाग सं0–348 के अतिक्रमित भूमि से उभय पक्षों को 15 दिनो का समय देते हुए उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा–6 की उप धारा(2) के अधीन नोटिस निर्गत किया गया।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड,राँची में W.P.(C) 3496/2023 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड,राँची द्वारा दिनांक–14.08.2023 को आदेश पारित किया गया, जिसमें अंचल अधिकारी के अतिक्रमण वाद सं0–01/2023–24 में पारित आदेश दिनांक–17.06.2023 को 02 सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए अपीलकर्त्ता को उपायुक्त के न्यायालय में अपील दायर करने का आदेश दिया गया।

यह अपील अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है:–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सार्वजनिक (सरकारी) गली नहीं है, बल्कि जमीनदार द्वारा जमीन की उचित पहचान कर बन्दोबस्ती हेतु व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। अतः इसे विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार हैः–

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग जमीन सार्वजनिक गली है। इसे अतिक्रमण मुक्त रहना चाहिए ताकि आम जनो का आवागन में असुविधा न हो। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश सही एवं न्याय संगत है। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत दाग की गली की भूमि जो मौजा दुमका टाउन नं0–07 शीट नं0–3 खाता सं0–35 जिसका दाग सं0–348 खेसरा पंजी में गैर मजरूवा मालिक गली बोलकर दर्ज है जो सरकारी भूमि के अन्तर्गत आता है। प्रश्नगत गली की भूमि उभय पक्षों के द्वारा जमीनदारी बन्दोबस्ती से संबंधित किसी भी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। गैर मजरूवा मालिक/खास परती कदीम भूमि जमीनदारी उन्मूलन के पूर्व जमीनदार का अधिकार था किन्तु भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रभावी होने के फलस्वरूप ऐसी भूमि सरकार में निहित है।

अंचल अमीन के द्वारा मापी प्रति में उभय पक्षों के द्वारा गली की भूमि आंशिक रूप से अतिक्रमण किया गया है जिसका अतिक्रमण मुक्त किया जाना सरकार की जिम्मेवारी बनता है।

अतः झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा–5 की उपधारा (1) के खण्ड (c) के अधीन मौजा दुमका टाउन नं0–07 खाता सं0–35 खेसरा सं0–348 का किस्म खेसरा पंजी के अनुसार गैर मजरूवा मालिक (गली), की भूमि जिसे अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (5) में यथा परिभाषित सार्वजनिक (सरकारी) भूमि पाया गया है। उभय पक्षों को 15 दिनों का समय देते हुए उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 की धारा–6 की उपधारा (2) की अधीन नोटिस निर्गत करें।

निष्कर्ष

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के W.P.(C) NO.-3496/2023 दिनांक–17.06.2023 में पारित आदेश एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि दाग सं0–348 किस्म खेसरा पंजी के अनुसार गैर मजरूवा मालिक (गली) है जो सार्वजनिक सरकारी भूमि है। जिस पर उभय पक्षों द्वारा आंशिक रूप से अतिक्रमण जाँच प्रतिवेदन में पाया गया है।

माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के विविध वाद सं0–07/2021 में पारित आदेश दिनांक–04.01.2022 के आलोक में अंचल अधिकारी,दुमका द्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत होती है। इस आधार पर अपीलकर्त्ता का आवेदन रद्ध करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक मे अंचल अधिकारी, दुमका का आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है। अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के द्वारा पारित आदेश के आलोक में अतिक्रमित भूमि एवं बनाये गये मकान पर निकाले गये छज्जा को 15 दिनों के अन्दर नापी कर अतिक्रमण मुक्त करें।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

17/10/23

उपायुक्त,
दुमका।

17/10/23

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by Anjaneyulu Dodde
Date: 2023.11.21 16:40:55 +05:30
Location: 169.254.227.244